

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 485] No. 485] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SHRAVANA 9, 1937

कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 606(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।
 - (2) य्रे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2014 की अनुसूची में, -
 - (क) तकनीकी सहायक के पद से संबन्धित क्रम संख्यांक 1. के सामने स्तम्भ (8) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"आयु – नहीं

शैक्षिक अहर्ताएं - नहीं।";

- (ख) ज्येष्ठ तकनीशियन के पद से संबन्धित क्रम संख्यांक 4. के सामने स्तम्भ (7) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- "(क) (i) कृषि मशीनरी मैकेनिक या मोटर यान मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक या डीज़ल इंजिन मैकेनिक अथवा बिजली मिस्त्री व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) प्रमाणपत्र ;

- (ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन यान या भारी मिट्टी हटाने वाले उपस्करों के प्रचालन और रखरखाव या विद्युत रख-रखाव का पाँच वर्ष का अनुभव; और
 - (ख) हल्के और भारी ड्यूटी यान और ट्रैक्टर का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति"।

[फा. स. 13-1/2015-एम एंड टी (प्रशा.)]

बी. बी. भगत. अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 902(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

- G.S.R. 606(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, –
- (a) against serial number 1, relating to the post of Technical Assistant for the entries under column (8), the following entries shall be substituted, namely:—

"Age - No.

Educational qualifications – No.";

- (b) against serial number 4, relating to the post of Senior Technician for the entries under column (7), the following entries shall be substituted, namely:—
 - "(A) (i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Mechanic Agricultural Machinery or Mechanic Motor Vehicle or Mechanic Tractor or Mechanic Diesel Engine or Electrician trade;
 - (ii) five years experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and
 - (B) possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor".

[F. No. 13-1/2015-M&T (Admn.)]

B. B. BHAGAT, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 902(E), dated the 16th December, 2014.